न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण नं :–105/2015 (पुराना न. :– 188/2012)

1. रेवन्तराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन बछरारा फौत जरिये वारिस :–
1/1 रेशमी देवी पत्नी रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
1/2 सावित्री देवी पुत्री रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
1/3 दलीप चन्द पुत्र रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
1/4 कमला देवी पुत्री रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
1/5 पतराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
1/6 गिरधारीलाल पुत्र रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
1/7 गोमती देवी पुत्री रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
1/8 ओमप्रकाश पुत्र रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1. दूदाराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
3. उप – पंजीयक सूरतगढ़।

–

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए, 48, 207, 209 आरटीए 1955

उपस्थित :– 1.श्री भागीरथ बिश्नोई एडवोकेट – वादी
2.श्री शिशपाल भार्मा एडवोकेट – प्रतिवादी न. 1
3.पैरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी न. 2

::– निर्णय –:: दिनांक :– 10 .01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही बछरारा के खसरा न. 390, 395, 396, 398, 400, 622/41 में 19.148 हैक. बारानी दोयम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा प्रतिवादी न. 1 के नाम से इसी रोही बछरारा के खसरा न. 349 में 2.833 हैक. व खसरा न. 352 में 3.932 हैक. व खसरा न. 397 में 1.871 हैक. व खसरा न. 399 में 4.009 हैक. व खसरा न. 410 में 2.542 हैक. व खसरा न. 716/399 में 3.149 हैक. कुल 18.336 हैक. रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एंव प्रतिवादी न. 1 सगे भाई है दोनो का रकबा चिपता है एक ही सीव लगती है। इसलिये वादी का कुल 19.148 हैक. रकबा पर 40 वर्शो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उसमें से रोही बछरारा के खसरा न. 397 के 1.871 हैक. व खसरा न. 399 में 4.009 हैक. व खसरा न. 410 में 2.542 हैक. कुल 8.422

हैक्. रकबा पर जो प्रतिवादी न. 1 दुदाराम के नाम से दर्ज है व वादी का खसरा न. 390 के 2.630 हैक्. व खसरा न. 396 के 4.604 हैक्. व खसरा न. 395 के 1.188 हैक्. कुल 8.422 हैक्. रकबा पर प्रतिवादी न. 1 के पास में कब्जा चला आ रहा है। अब वादी ने अपने खेत की सीमाज्ञान बाबत नपाई की तो पता चला कि वादी प्रतिवादी न. 1 के नाम के 8.422 हैक्. रकबा पर पिछले 40 वर्षो से काबिज है इसी रकबा को वादी ने भारी खर्चा लगाकर कड़ी मेहनत करके सुधारा है काबिल का त किया है। जब वादी को इस बात का ज्ञान हुआ कि वादी प्रतिवादी न. 1 के 8.422 हैक्. रकबा पर कब्जा है तो प्रतिवादी न. 1 को राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवाने के लिये पहले तो सहमत हो गया लेकिन अदालत में नही आया इस पर वादी ने दिनाक 26.07.2012 को रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का कहा तो वो इन्कार हो गया प्रतिवादी न. 1 अब वादी के कब्जा काश्त में दखल करना चाहता है इसलिये वादी ने यह दावा पेशकर प्रतिवादी न. 1 के नाम के रोही बछरारा के खसरा न. 349 में 2.833 हैक्. व खसरा न. 352 में 3.932 हैक्. व खसरा न. 397 में 1.871 हैक्. व खसरा न. 399 में 4.009 हैक्. व खसरा न. 410 में 2.542 हैक्. व खसरा न. 716/399 में 3.149 हैक्. कुल 18.336 हैक्. रकबा को खातेदार कृशक घोशित करते हुये प्रतिवादी न. 1 दुदाराम का नाम हटाया जाने का व वादी के नाम के इसी रोही बछरारा के खसरा न. 390 के 2.630 हैक्. व खसरा न. 396 के 4.604 हैक्. व खसरा न. 395 के 1.188 हैक्. कुल 8.422 हैक्. रकबा वादी के नाम से कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 के उसके कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार कृषक किया जावे तथा चिरस्थाई निशेधाज्ञा प्रतिवादी न. 1 के विरूद्व जारी करने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न. 1 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि उसके नाम से रोही बछरारा में करीब 72.10 बीघा रकबा था भू– प्रबंध के दौरान नया खसरा न. 349, 352, 397, 399, 410, 716/399 यह रकबा उसे आवटन है भू – प्रबंध के पर्चा लगान दिनाक 01.07.1978 से 30.06. 1988 की चित्रप्रति पेश की। भू – प्रबंध सम्वत् 2035 ता 44 में हुआ था प्रतिवादी न. 1 का उसके खुद के नाम के रकबा पर कब्जा काश्त है। वादी का उसके नाम के रकबा पर कब्जा काश्त है। वादी के नाम का रकबा ही वादी को आवटन होकर खातेदारी हुआ है। वादी प्रतिवादी न. 1 का बड़ा भाई है प्रतिवादी न. 1 ने जवाब दावा में दर्ज किया है कि वह अपने नाम के रकबा पर डिग्गी का निर्माण करना चाहता है। प्रतिवादी न. का रकबा अब सिचित हो गया खसरा न. 399 व खसरा न. 410 के 18.12 बीघा रकबा की पानी की बारी प्रतिवादी न. 1 के नाम से बधी हुई है तथा वह खेत में पानी की डिग्गी बनाकर फव्वारा सिस्टम से तमाम रमबा को सिचित करना चाहता है खसरा न. 399 में पक्की प्लास्टिक डिग्गी बनाने के लिये कार्यालय सहायक निदे क, कृशि विस्तार अधिकारी श्रीगंगानगर ने डिग्गी हेतु इकाई लागत का 2.50 प्रतिशत राशि के 3 लाख रूप्ये अनुदान राशि की प्रशासिनक स्वीकृति जारी कर दी है इसकी जानकारी होते ही वादी ने यह दावा पेश कर दिया है तथा एकतरफा स्थंगन भी लिया है वादी का प्रतिवादी न. 1 के रकबा पर कतई कब्जा नही है वादी प्रतिवादी न. 1 की सुधार किया हुआ रकबा पर इस दावा की आड में हड़पना चाहता है। प्रतिवादी न. 1 की भूमि समतल व नहरी देखकर वादी बद्वयान्त हो गया है तथा प्रतिवादी न. 1 के रकबा पर ना तो कभी वादी का प्रतिवादी न. 1 की इन्छा के विरूद्व कब्जा रहा व ना ही कभी सहमति से कब्जा रहा। इसलिये वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी न. 2 ने जवाब दावा पेश करने के अवसर दिये जाने के पश्चात् भी पेश नही किया इस पर दिनाक 09.07.

2013 को जवाब दावा बन्द किया व प्रतिवादी न. 3 बावजूद सूचना हाजिर ना आने से उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। दावा व जवाब दावा पेश होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी न. 1 :– आया रोही बछरारा के खसरा न. 397 का 1.871 हैक. व खसरा न. 399 का 4.009 हैक. व खसरा न. 410 का 2.542 हैक. कुल 8.422 हैक. जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज है पर वादी का 40 वर्शो से कब्जा काश्त है कब्जा काश्त के आधार पर वादी इस रकबा का खातेदार कृषक है ?

– वादी

तनकी न. 2 :– आया वादी राजस्व रिकॉर्ड में रोही बछरारा के खसरा न. 397 का 1.871 हैक. व खसरा न. 399 का 4.009 हैक. व खसरा न. 410 का 2.542 हैक. कुल 8.422 हैक. रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम से कलमजन करवाकर अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार है ?

– वादी

तनकी न. 3 :– आया वादी प्रतिवादी के विरूद्व चिरस्थाई निशेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के हकदार है कि वह रोही बछरारा के खसरा न. 397, 399, 410 के कुल 8.422 हैक. रकबा वादी के कब्जा काश्त में किसी तरह की दखलन्दाजी ना तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करवावें ?

– वादी

तनकी न. 4 :– आया रोही बछरारा के खसरा न. 349/2.833, 352/3.932, 397/1.897, 397/4.209, 410/2.542, 716/399 के 3.149 हैक. के कुल 18.336 हैक. रकबा प्रतिवादी न. 1 का खातेदारी है तथा प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त है इस रकबा पर वादी का कतई कब्जा काश्त नही है व कब्जा अभाव में दावा खारिज योग्य है तथा इस रकबा पर वादी के कोई अधिकार उत्पन नही होते है?

– प्रतिवादी

तनकी न. 5 :– आया रोही बछरारा के 18.366 हैक. रकबा में से खसरा न. 397– 398– 410 का रकबा अब नहरी हो चुका है जिसे सुधारकर प्रतिवादी ने खेती योग्य बनाया है। वादी प्रतिवादी का सगा भाई है। वादी का कभी भी प्रतिकूल कब्जा नही रहा है ?

– प्रतिवादी

तनकी न. 6 :– अन्य अनुतोष .....

तनकीयात कायम की जाने के बाद काफी अवसर **COST** पर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी नही करवाने पर साक्ष्य वादी के अभाव में यह दावा दिनाक 20.04.2015 को खारिज किया परन्तु दिनाक 13.05.2015 को वादी के वारिसो ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में वादी रेवन्तराम दिनाक 11.12.2014 को फौत हो गया इसलिये वो हाजिर नही आ सके। इस पर इस प्रार्थना पत्र के साथ आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। रेस्टोर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद मानते हुये न्यायहित में दावा पुनः नम्बर पर लिया गया तथा ससोधित शीर्षक वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। वादी ने साक्ष्यवादी में ओमप्रकाश पुत्र रेवन्तराम व

पतराम पुत्र रेवन्तराम व दलीप चन्द पुत्र रेवन्तराम भापथ पत्र पेश किये जिनकी जिरह प्रतिवादी न. 1 अधिवक्ता द्वारा की गई व साक्ष्यवादी बन्द किये गये तथा प्रतिवादी न. 1 दुदाराम पुत्र पूर्णराम व मांगीलाल पुत्र दुदाराम का भापथ पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी ने दावा के तथ्यो को दोहराते हुये प्रतिवादी न. 1 के नाम के रकबा पर वादी का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार कृशक तथा चिरस्थाई निशेधाज्ञा की घोशणा चाही तथा प्रतिवादी न. 1 ने जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी का प्रतिवादी न. 1 के रकबा पर कतई कब्जा नही है। प्रतिवादी न. 1 का रकबा नहर आ जाने से नहरी हो गया है वादी अब प्रतिवादी न. 1 का नहरी रकबा हड़पने के लिये यह झूठा दावा पेश किया है प्रतिवादी न. 1 का उसके स्वंय के नाम के रकबा पर लगातार कब्जा काश्त है। खसरा गिरदावरी की नकल से साबित है कि उसके नाम के रकबा पर स्वंय की काश्त है इसलिये दावा खारिज किये जावें तथा कानूनी नजीर **RRT 2011 PART 2 PAGE 721** पेश कर निवेदन किया कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी देने का प्रावधान भी नही है तथा वादी का प्रतिवादी न. 1 के रकबा पर प्रतिकूल कब्जा भी नही है। इसलिये वाद वादी खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया व निम्न तनकीयात अनुसार निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 1 :— इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने दावा में लिखा है कि उसका प्रतिवादी न. 1 के खातेदारी 8.804 हैक. रकबा पर 40 वर्शो से कब्जा काश्त है परन्तु वादी द्वारा कब्जा का त होने के कोई भी साक्ष्य इस पत्रावली में मौजूद नही है। वादी द्वारा अपने नाम की जमाबन्दी जो प्रस्तुत की है जिसमें वादी का रकबा ओरियन्अल बैक ऑफ कॉमर्स शाखा सूरतगढ़ के इन्तकाल न. 252 से रहन है। इस प्रकार वादी ने अपने नाम के 19.148 हैक. रकबा को इस दावा के पेश करने से पूर्व रहन रखा था तथा वादीगण न. 1/5 जिसका भापथ पत्र पर प्रस्तुत है ब्यानो की जिरह में उसने स्वीकार किया है कि उसके पिता को 19.148 हैक. रकबा 50 वर्षो पहले आवटन थी तथा चाचा दुदाराम को 18.346 हैक. रकबा 50 वर्षो पहले आवटन था। दुदाराम अपने खेत के खसरा न. 399 में पानी की डिग्गी 2 वर्श पहले बनाई तथा फववारा सिस्टम लगा रखे है लगभग 2.30 — 3 घण्टे बारी बधी हुई है हमारा पैमाईश का विवाद है, वादीगण ने इस रकबा की पैमाईश करवाई हो ऐसा कोई साक्ष्य इस पत्रावली में मौजूद नही है। प्रतिवादी न. 1 अपने जवाब दावा के साथ खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत की है तथा कार्यालय सहायक निदेशक, कृशि विस्तार अधिकारी श्रीगंगानगर की डिग्गी की अनुदान राशि की प्रशासनिक स्वीकृति की फोटो प्रति भी पेश की है। इसस यह साबित है कि प्रतिवादी के नाम के रकबा पर प्रतिवादी स्वंय का ही कब्जा काश्त है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में अपने स्वयं के ब्यानो के अलावा ना तो मौखिक साक्ष्य पेश किया व ना ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी न. 1 के नाम के खातेदारी रकबा पर वादी का कब्जा काश्त है बल्कि खुद के नाम की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति से साबित है कि दावा पेश करने से पूर्व अपने नाम के रकबा पर जिस पर वादी प्रतिवादी न. 1 का कब्जा दर्शा रहा है पर बैक से ऋण लिया है क्योकि बैक भी ऋण देने से पूर्व जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी का अवलोकन करता है इसके अलावा जब वादी 40 वर्श पुराना कब्जा दर्शा रहा है यानि सन् 1968 से कब्जा दर्शा रहा है तो उस समय तो गिरदावरी भी काबिज काश्तकारो के नाम होती

थी। प्रकरण में उभयपक्ष जैरप्रकरण रकबा वादी एंव प्रतिवादी न. 1 अलग – अलग आवटन दर्शा रहे है जब वादी ने कब्जा ही प्रतिवादी के रकबा पर लिया तो आवटन की कार्यवाही से उसी समय खुद के व प्रतिवादी न. 1 के आवटन आदेश में खसरा परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करता परन्तु इस प्रकरण में वादी ने दावा में दर्ज तथ्यों को किसी भी साक्ष्य से साबित नही किया है। इसलिये इस तनकी को वादी साबित नही कर पाया है इसलिये इस तनकी का निर्णय खिलाफ वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी न. :– 2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जब वादी अपना कब्जा भी साबित नही कर पाया तथा पत्रावली में ऐसा कोई भी साक्ष्य नही है जिससे वादी का जैरप्रकरण रकबा पर प्रतिकूल कब्जा हो तथा इस तनकी का निर्णय तनकी न. 1 पर आधारित भी है जब तनकी न. 1 भी वादी साबित नही पाया तथा प्रतिवादी अपने रकबा का खातेदार कृशक है इसलिये वादी का नाम कलमजन कतई नही किया जा सकता इसलिये हम तनकी का निर्णय भी खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी न. :– 3 इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है जब प्रतिवादी का अपने खातेदारी रकबा पर कब्जा काश्त है तो वादी को प्रतिवादी के रकबा पर चिरस्थाई निशेधाज्ञा कब्जा अभाव में जारी नही की जा सकती इसलिये इस तनकी का निर्णय भी खिलाफ वादी बहक प्रतिवादी न. 1 किया जाता है।

तनकी न. :– 4 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादी ने जवाब दावा के साथ जमाबन्दी व गिरदावरियों की प्रमाणित प्रति पेश की है इससे साबित है कि प्रतिवादी न. 1 का स्वयं के रकबा पर कब्जा काश्त है इसलिये इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी न. 1 के पक्ष में किया जाता है व कब्जा अभाव में भी दावा खारिज योग्य है।

तनकी न. :– 5 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी न. 1 पर तनकी न. 1 का निर्णय जब खिलाफ वादी हो चुका है तथा तनकी न. 4 का निर्णय बहक प्रतिवादी न. 1 किया जा चुका है तो इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादी न. 1 किया जाता है।

उपरोक्त तनकी न. 1 ता 3 जिसको साबित करने का भार वादी पर था तथा वादी इस तनकीयात को साबित नही कर पाया तथा तनकी न. 4 व 5 को प्रतिवादी न. 1 ने साबित कर दिया है तथा वादी अपना दावा किसी भी तरह से साबित नही कर पाया है इसलिये वाद वादी आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. रेवन्तराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन बछरारा फौत जरिये वारिस :–

1/1 रेशमी देवी पत्नी रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/2 सावित्री देवी पुत्री रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तह.सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/3 दलीप चन्द पुत्र रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तह.सूरतगढ़ जिला श्रीगंगांनगर।

1/4 कमला देवी पुत्री रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तह.सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/5 पतराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/6 गिरधारीलाल पुत्र रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/7 गोमती देवी पुत्री रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तह.सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/8 ओमप्रकाश पुत्र रेवन्तराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तह.सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1. दूदाराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
3. उप – पंजीयक सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,188 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 105 वर्ष 2015 यह मुकदमा वास्ते इंनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई व प्रतिवादीगण श्री शिशपाल शर्मा व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादी आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x..... फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10.01.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.27 17:50:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: